कार्यालय सिविल सर्जन , सिरसा

भवन किराए पर लेने हेतू निविदा सुचना

NO:NUHM/SRS/22-23/297.

दिनांक: 27.07.2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अर्बन सिरसा, अर्बन डबवाली, अर्बन रानिया व अर्बन कालांवाली में 12 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के लिए भवन को किराये पर लेने की आवश्यकता है | जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

NAME OF UPHC/ CHC	URBAN AREA	PROPOSED HEALTH AND WELNESS CENTRES
CHATTATGARH PATTI	SIRSA	1.PREM NAGAR 2.SHAKTI NAGAR
KHAIRPUR	SIRSA	1. KITRI NAGAR 2.GURU NANAK NAGAR
INDERPURI	SIRSA	1. NATH MOHALLA 2. LAKHI TALAB
THED MOHALLA	SIRSA	1. MELA GROUND 2. PEER BASTI
DABWALI	DABWALI	1. KABIR BASTI 2. PARJAPAT NAGAR
RANIA	RANIA	1. JARNAIL COLONY
KALANWALI	KALANWALI	1. KHOO WALA BAZAR

इच्छुक व्यक्ति या संस्था जो इन स्थान पर भवन किराये पर या मुफ्त देने के लिए इच्छुक है , वह अपने आवेदन NHM कार्यालय , सिविल अस्पताल , सिरसा में दिनांक 11.08.2022 तक सांय 04 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर जमा करवा सकते है | अन्य नियम व् शर्ते किसी भी कार्यदिवस में NHM कार्यालय से लिखित अनुरोध पर या **nhmsirsa.org** से प्राप्त की जा सकती है |

-sd-

सिविल सर्जन

सिरसा

<u>शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए भवन किराए पर लेने हेतु नियम व शर्ते :-</u>

1. किराए के लिए लिये गए भवन , में स्टाफ के बैठने तथा अन्य समान रखने के लिए कम से कम 04 कमरे , फार्मेसी , पैंट्री तथा एक शौचालय होना चाहिए |

2. जिस भवन में सभी कमरे भूतल पर होंगे उन भवन मालिकों को प्राथमिकता दी जाएगी |

3. किराया कमेटी द्वारा निर्धारित किया जायेगा |

4. वार्षिक मरम्मत , सफेदी व् पेंट करवाने की जिम्मेवारी मकान मालिक की होगी |

5. मकान मालिक को 3 फेस का मीटर , आवश्यक फिटिंग तथा अर्थिंग करवाकर देनी होंगी |

6.किराए पर लिए जाने वाले भवन में प्रयोग किए जा रहे बिजली , पानी तथा सीवर के बिल का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा |

7. किसी भी पक्ष द्वारा तीन माह का पूर्व नोटिस देकर अनुबंध रद्द किया जा सकता है व भवन खाली किया व करवाया जा सकता है |

8. अनुबंध का नवीनीकरण वार्षिक किया जाएगा |

9. तय किए गए किराए में 05 वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी बढोतरी नही की जाएगी |

10. किराए पर लिए गए भवन के लिए बिजली पानी की नियमित सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी |

11. किराए पर दिए जाने वाले भवन का कोई भी स्थान टूट फूट वाली नही होना चाहिए |

12. मकान मालिक को भवन किराए पर देते वक्त भवन की रजिस्टरी की प्रमाणित फोटो कॉपी इस कार्यालय में जमा करवानी होगी | जिससे यह प्रमाण हो कि भवन उसके नाम पर है | रजिस्टरी प्रस्तुत नही करने पर मकान मालिक को हलफ़नामा देना होगा कि मकान उसके नाम पर ही हैं तथा किसी भी विवाद की स्तिथि में वह स्वयं उत्तरदायी होगा |

13. कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी भवन को किराए पर लेने से पूर्व उसका निरीक्षण कर सकती है तथा इसके अतिरिक्त कमेटी को किसी भी भवन को किराए पर लेने व न लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होगा |

14. एक भवन मालिक केवल एक ही संस्था के लिए आवेदन दे सकता है |

अर्बन नोडल अधिकारी , सिरसा